क्रम-सं0-53

रजिस्ट्रेशन नं0–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2025
03 चैत्र, शक संवत् 1947

विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1310/वि0स0/संसदीय/184(सं0)/2023
लखनऊ, दिनांक 24 मार्च, 2025

अधिसूचना
प्रकीर्ण

एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2023 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसार दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ने नाम-निर्दिष्ट किया है और इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्य सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत इस सदन द्वारा विधिवत् निर्वाचित माने जायेंगे :-

1-श्री रामवीर सिंह (मुरादाबाद), दयौलारी, मुरादाबाद।

2-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह (रायबरेली), ग्राम व पोस्ट-खजूरगाँव, जनपद-रायबरेली।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 64 राजपत्र (523)-25-03-2025-585+15 प्रतियां।